


न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज <u>रामस्वरूप</u> बनाम श्री <u>पू ल को</u> मु. सं. <u>34/22</u></p>
<p>14.05.25</p>	<p>आज पत्रावली पेना ड्रि वकील वादी व वादीगण के एक-एक कर बार-बार आवाज दिलायी गई किन्तु कोई उपस्थित नही आया जैसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि वादीगण अपने वाद पत्र के प्रति गंभीर नही है और वाद पत्र को चलाया नही चाहे है।</p> <p>अतः वादीगण का वाद पत्र अदालत में पेशी व अदालत दायरी में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फाइल शुद्ध ब्रेकट बंद तकनीक वालिल दफ्तार है।</p> <p>आदेश सुगम्य गंभीर</p> <p style="text-align: right;">  उप खण्ड अधिकारी महारा (दौरा)</p>